

फर्द अहकाम

गन्नी देवी बनाम भुवा

नाम न्यायालय : सहायक कालचंदर, बरसी

राजस्व चाद/प्राथना पत्र/पुकदमा नम्बर : 106/2021

क्रमा संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
16/12/21		<p>पत्रावली पत्र नं. 1/2021 चकील गाँव पत्र नं. 1/2021 पत्रावली पत्र आदालत नं. 1/2021 दिनांक 16/12/21 का पत्र है</p>
23/12/21		<p>पत्रावली पत्र नं. 1/2021 प्राची अधिवक्ता उपस्थित मूलवादपत्र नं. 21 की सम्पत्त तामील मानी जाकर एक तरफ कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है प्राची अधिवक्ता को मा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर एक पक्षीय बंदस सुनी गई।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं प्राची अधिवक्ता द्वारा दोराने बंदस जादिर तथ्यी पर मनन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि प्राची एवं अप्रार्थीगन रिकार्ड नं. 23 एवं प्रथम दृष्टया आपला प्राची के पक्ष में बनता है अतः विवादित खलरा नं. 23 एवं 11-5575 हेम्ट लिखत ग्राम खिजुथिा निवासीपान तद. लंगा जि. जयपुर के संबंध में उभयपक्ष को जायि अस्थायी निषेधाज्ञा के पाकड किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आरजी पर मूलवाद गन्नी देवी बनाम भुवा सु-नं. 126/21 के अन्तिम निर्णय तक प्रो. के कि भयाहियाई एवं रिकार्ड की यथाहियाई बताये रखें।</p> <p>पत्रावली नम्बर से उभ होकर दाखिल दफ्तर है।</p>

सहायक कालचंदर
 बरसी जिला - जयपुर

न्यायालय : स
 व चाद/प्राथना
 दिनांक आज
 या कार्यवाही